फर्द अहकाम

रामावतार बनाम सरकार

...य :– उपखण्ड अधिकारी फागी

... 288/2013 दावा

...म	दिनांक/आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	28/8/25	पत्रावली पेश हुई पक्षकारान वकील उपस्थित। समय अभाव में पत्रावली का अवलोकन नहीं किया जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 8/9/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी फागी	
	8/9/25	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उप०। पत्रावली में बहस सुने एक माह से अधिक समय हो चुका है इसलिए पत्रावली वास्ते पुन बहस हेतु दिनांक 26/9/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी फागी	
	26/9/25	पत्रावली पेश हुई पक्षकारान वकील उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 24/10/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी फागी	
	24/10/25	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उप०। बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 30/10/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी फागी	
	30/10/25	पत्रावली पेश हुई पक्षकारान वकील उप०। आदेश सुनाया जाता है वादी का वाद खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से टंकित किया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नि से कम हो दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी फागी	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मुकदमा नम्बर:— 288 / 2013
निर्णय दिनांक:— 30.10.2025
पीठासीन अधिकारी:— राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. रामावतार पुत्र स्व0 श्री छोटू जाति कुम्हार निवासी ग्राम नीमेडा तहसील फागी जिला जयपुर।
2. गोपाल पुत्र स्व0 श्री छोटू जाति कुम्हार निवासी ग्राम नीमेडा तहसील फागी जिला जयपुर।
3. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री छोटू जाति कुम्हार निवासी ग्राम नीमेडा तहसील फागी जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये जिलाधीश महोदय जिला जयपुर।
2. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता:—श्री कृष्ण कुमार लखेरा अधिवक्ता वादीगण
पैरोकार सरकार

वाद घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व दुरूस्ती इन्द्राज

निर्णय दिनांक:— 30.10.2025

वादपत्र

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप्त मे इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 1549 वाके ग्राम नीमेड़ा तह. फागी जिला जयपुर में स्थित है उपरोक्त खसरा नम्बर 1549 में से 11 बीघा आराजी वादीगण की कब्जे काश्त की आराजी है जिस पर वादीगण का 40 वर्ष पूर्व से अर्थात पर्चा सैटलमेन्ट के पूर्व से ही कब्जा काश्त निरन्तर शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। वादीगण से पहले वादीगण के पिता उपरोक्त आराजी पर शान्तिपूर्वक काबिज थे व वादीगण के पिता के देहावसान के पश्चात वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण ने अपनी आराजीयात में लाखों रूपया खर्च कर अपनी आराजी को काफी विकसित कर लिया है। वर्तमान में वादीगण ने अपनी आराजी में सावणू फसल बाजरा, मूंग, तील की काश्त की है। वादीगण अनपढ़ व काश्तकार पेशा व्यक्ति है । वादीगण के पिता भी काश्तकार पेशा व्यक्ति है। वादीगण के पिता भी काश्तकार पेशा व्यक्ति थे, राजस्व रिकार्ड के बारे में न वादीगण के पिता समझाते थे व न ही वादीगण समझते है। खसरा नम्बर 1549 का रकबा काफी बड़ा है जिसमें से भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों को जमीन अलाट की गई । वादीगण के पिता सीदे साधे

उपखण्ड अधिकारी
फागी

व्यक्ति थे, वादीगण के पिता का खसरा नम्बर 1549 के रकबे में से 11 बीघा आराजी पर शान्तिपूर्वक कब्जा था, वादीगण के पिता के कब्जे काश्त में कभी किसी ने भी व्यवधान उत्पन्न नही किया इस कारण कभी राजस्व रिकार्ड देखने की भी आवश्यकता नही हुई। खसरा नम्बर 1549 कभी भी गैर मु. नाली नहीं रही क्योंकि खसरा नम्बर 1549 में काश्त होती है व वादीगण का 11 बीघा पर कब्जा काश्त है व शेष रकबे पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा काश्त है। खसरा नम्बर 1549 में हमेशा खेती होती है, ख.नं. 1549 के आसपास भी चारों और खेती की ही आराजी है। वादीगण का निरस्तर 40—50 वर्षो से खसरा नम्बर 1549 में कब्जा काश्त चला आ रहा है। पर्चा सेटलमेन्ट के पूर्व से ही वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रतिवादीगण ने भी वादीगण को कभी बेदखल नहीं किया है। गांव के कुछ राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति वादीगण से ईर्ष्या रखते है व वादीगण को उनकी आराजी से बेदखल करना चाहते है इसी उद्देश्य से प्रतिवादीगण से मिलकर वादीगण को दिनांक 10.9.2013 को 91 एल. आर. एक्ट का नोटिस दिलवाया जिसमें खसरा नम्बर 1549 को गैर मुमकिन नाला अंकित किया है जबकि खसरा नम्बर 1549 कभी भी गैर मुमकिन नाले की भूमि नहीं है। दिनांक 10.9.2013 को वादीगण को जब 91 एल. आर. एक्ट का तहसीलदार जी फागी के द्वारा नोटिस मिला तब वादीगण ने पटवारी हल्का के पास जाकर राजस्व रिकार्ड देखा तब वादीगण को समस्त तथ्यों का पता चला व राजस्व रिकार्ड में हुये गलत अंकन की जानकारी हुई। खसरा नम्बर 1549 में गै. मु. नाली का अंकन दुरूस्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक हुआ। पटवारी हल्का ने बिना किसी आदेश, बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाएँ राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 1549 को गैर मु0 नाली अंकित कर दिया जो बिल्कूल विधि विरुद्ध था जबकि खसरा नम्बर 1549 में हमेशा काश्त होती है, चूंकि वादीगण का पर्चा सैटलमेन्ट के पूर्व से ही कब्जा चला आ रहा है इसलिये वादीगण को राजस्व रिकार्ड देखन की कभी आवश्यकता भी नहीं हुई । परन्तु जब दिनांक 10.9.2013 को तहसीलदार जी फागी का धारा 91 एल. आर. एक्ट का नोटिस मिला तब वादीगण ने पटवारी हल्का के पास जाकर राजस्व रिकार्ड देखा तब वादीगण को राजस्व रिकार्ड में हुये गलत अंकन की जानकारी हुई तब वादीगण को अपने हितो की रक्षार्थ यह वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ है। वादीगण काश्तकार पेशा, सीधे सादे अनपढ़ व्यक्ति है। वादीगण के पास खसरा नम्बर 1549 के रकबे में से 11 बीघा भूमि जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त है उपरोक्त 11 बीघा भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भूमि काश्त हेतु नहीं है। वादीगण उपरोक्त 11 बीघा भूमि में काश्त करके ही अपने परिवार का पालन पोषण करते है। निरन्तर 40 वर्ष पूर्व से वादीगण का कब्जा काश्त होने के कारण प्रतिगामी कब्जे के आधार पर भी वादीगण

को खातेदारी अधिकार मिल चुके है। यदि वादीगण को उनकी आराजी से बेदखल कर दिया अथवा राजस्व रिकार्ड में गै०मु० नाली दुरूस्त कर वादीगण के नाम खातेदारी नहीं लगाई गई तो वादीगण के हितो पर आघात होगा, वादीगण अपने हक व अधिकार से वंचित हो जायेंगे व वादीगण को अपूर्णिय क्षति होगी । इस कारण भी यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ है। वादीगण ने तहसीलदार जी फागी के समक्ष उपस्थित होकर धारा 91 एल. आर. एक्ट के नोटिस का जवाब भी प्रस्तुत कर दिया है परन्तु दिनांक 27.9.2013 को प्रतिवादीगण के अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों ने आकर वादीगण को धमकी दी कि शीघ्र ही आराजी पर से कब्जा हटाओं हम किसी अन्य को उपरोक्त भूमि आंवटित करेंगे व तुम्हे बेदखल करेंगे । इस कारण भी यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ है। वाद कारण दिनांक 10.9.2013 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को धारा 91 एल. आर. एक्ट का बेदखली का नोटिस दिये जाने व दिनांक 27.9.2013 को प्रतिवादीगण के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा वादीगण को बेदखल करने की धमकी देने व वादीगण की आराजी को अन्य व्यक्तियों को आंवटन करने की धमकी देने से निरन्तर उत्पन्न हो रहा है जिससे वाद अन्दर मियाद है। पक्षकारान का निवास स्थान व विवादित आराजी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से दावा हाजा का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त हैं।

जबाब दावा

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी सं0 1 व 2 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित आये तथा जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया तथा अपने जबाब के तथ्यो मे बताया की जमाबन्दी सम्वत 2067 – 2070 ग्राम नीमेडा खाता सं0 1 में आराजी ख0न0 1549 / 2 रकबा 34.10 बीघा गै0मु0 नाली सिवायचक दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमे कोई दुरूस्ती किया जाना अपेक्षित नही है। भू0प्रबन्ध खतौनी के ख0न0 1549 रकबा 129 बीघा 10 बिस्वा बजड दोयम सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। कालान्तर में श्रीमान उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक से आराजी की किस्म जमीन बजड दोयम से नियमानुसार परिवर्तन कर गै0मु0 नाली इन्द्राज हई हैं अतः वादीगण का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

तनकीयात

तनकीयात कायम की गई। जो निम्नानुसार है।:–

1. आया वादग्रस्त ख0न0 1549 ग्राम नीमेडा पर वादीगण 40 वर्षो से पूर्व से पर्चा

सेटलमेन्ट से पूर्व ही काबिज काश्त है। मौके पर 11 बीघा भूमि पर काश्त है। इसलिये वादीगण 11 बीघा भूमि की घोषणा कराने के अधिकारी है।

वादीगण

2. आया वादग्रस्त भूमि कभी भी गै0मु0नाली नही रही है। मौके पर वादीगण का निरन्तर कब्जा काश्त है। इसलिये राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 नाली दुरूस्ती कराने के अधिकारी है।

वादीगण

3. आया प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है।

वादीगण

4. आया वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 नाली सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। वादी दुरूस्ती कराने का अधिकारी नही हैं

प्रतिवादी

5. आया वादग्रस्त भूमि राजकीय भूमि है। जिस पर वादीगण को कोई हक व अधिकार नही है। घोषणा कराने का अधिकारी नही है।

प्रतिवादी

तनकीयात कायम की जाकर वाद ऐक्सप्लेन की गई।

साक्ष्य वादी

वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन मे दस्तावेजात साक्ष्य सबुत प्रस्तुत किये गये।

दस्तावेज	सम्वत / विवरण	प्रदर्श
जमाबन्दी	सम्वत 2061– 2070 वाके ग्राम नीमेडा	प्रदर्श– पी01
नोटिस	91 का नोटिस दिनांक 05.09.2013	प्रदर्श– पी02
नोटिस	गोपाल के नाम 91 का नोटिस दिनांक 05.09.2013	प्रदर्श– पी03
नोटिस	ओमप्रकाश के नाम 91 का नोटिस दिनांक 05.09.2013	प्रदर्श–पी04
पर्चा सेटलमेन्ट	पर्चा सेटलमेन्ट की प्रमाणित प्रति	प्रदर्श–05
खसरा परिवर्तन	खसरा परिवर्तन शील सम्वत 2031	प्रदर्श–06
खसरा परिवर्तन	खसरा परिवर्तन शील सम्वत 2031	प्रदर्श–07
खसरा परिवर्तन	खसरा परिवर्तन शील सम्वत 2050	प्रदर्श–08
खसरा परिवर्तन	खसरा परिवर्तन शील सम्वत 2050	प्रदर्श–09
खसरा परिवर्तन	खसरा परिवर्तन शील सम्वत 2034	प्रदर्श – 10
खसरा परिवर्तन	खसरा परिवर्तन शील सम्वत 2034	प्रदर्श–11

खसरा परिवर्तन	खसरा परिवर्तन शील सम्वत 2036	प्रदर्श — 12
खसरा परिवर्तन	खसरा परिवर्तन शील सम्वत 2058	प्रदर्श — 13
खसरा परिवर्तन	खसरा परिवर्तन शील सम्वत 2040	प्रदर्श — 14
खसरा परिवर्तन	खसरा परिवर्तन शील सम्वत 2041	प्रदर्श — 15
खसरा परिवर्तन	खसरा परिवर्तन शील सम्वत 2051	प्रदर्श — 16
खसरा परिवर्तन	खसरा परिवर्तन शील सम्वत 2057	प्रदर्श — 17

प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए—

नाम	जाति	निवासी	गवाह
श्री कैलाश चन्द पुत्र छोगालाल	माली	नीमेडा तहसील फागी	पी0डब्लू—1
श्री रतनलाल पुत्र तेजमल	सैन	नीमेडा तहसील फागी	पी0डब्लू —2
श्री रामावतार पुत्र छोटूराम	कुम्हार	नीमेडा तहसील फागी	पी0डब्लू—3

उक्त गवाहान ने शपथ पत्र पेश किये जो शामिल मिसल किये गये। उक्त गवाहान व वादी से बयान लेखबद्व किये गये। गवाहान ने अपने बयान मे बताया कि इस जमीन पर मै शुरू से ही रामावतार का कब्जा देखता आ रहा हूँ। रामावतार के पास इस जमीन के अलावा अन्य कोई जमीन नही है। ख0न0 1549 में अन्य लोगो को जमीन का आवंटन हुआ है। रामवतार के पिताजी अनपढ थे इसलिये उन्होने आवंटन की कार्यवाही नही की। इस जमीन मे कोई नाला नही है।

साक्ष्य प्रतिवादी

साक्ष्य प्रतिवादी हेतु कोई दस्तावेज या गवाह पेश नही किये। इसलिये साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई।

बहस वादी लिखित

बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने अपने वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये वादीगण का स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस प्रतिवादी लिखित

प्रतिवादी ने अपने जवाब के तथ्यो को दोहराते एवं वकील वादीगण की बहस का खण्डन करते हुये वादीगण का वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया।

बहस मनन व तनकीवार विवेचन

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर

उपखण्ड अधिकारी फागी

पाया की वादी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है। वादीगण द्वारा उक्त वाद कब्जाशुदा आराजी की घोषणा चाही है। जिसके बाबत उक्त प्रकरण मे तनकीयात कायम की जा चूकी है तथा घोषणा से पूर्व तनकीयात का विनिश्चय किया जाना आवश्यक है। तनकीयात का विन्दुवार विनिश्चय किया गया। जो निम्नानुसार है।

1. **आया वादग्रस्त ख0न0 1549 ग्राम नीमेडा पर वादीगण 40 वर्षो से पूर्व से पर्चा सेटलमेन्ट से पूर्व ही काबिज काश्त है। मौके पर 11 बीघा भूमि पर काश्त है। इसलिये वादीगण 11 बीघा भूमि की घोषणा कराने के अधिकारी है। :–** तनकी सं0 1 को सिद्ध करने का भार वादीगण का दिया गया। वादीगण अपने वाद पत्र के समर्थन मे महज जमाबन्दी सम्वत 2067 – 70 प्रदर्श 1 प्रस्तुत किया है जिसमे उक्त विवादग्रस्त आराजी की किस्म नदिया तथा नाले दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार फागी ने अपने जवाब मे भी गै0मु0 नाली सिवायचक दर्ज होना बताया है। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के पैरा सं0 1 मे 40 वर्षो व सेटलमेन्ट के पूर्व से ही कब्जा काश्त होने का कथन किया है। लेकिन वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन मे ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य सबुत नही किया गया जिससे वादीगण को महज कब्जे के आधार पर ही उक्त विवादग्रस्त आराजी मे घोषणा करवाने के अधिकारी हो। वर्तमान उक्त आराजी की किस्म नदीया या नाला होने के कारण उक्त आराजी अब्दूल रहमान प्रकरण से प्रभावित भी होती है। जिसके तहत **"प्रदेश में जलस्रोतों की 1947 की स्थिति बहाल करने को लेकर अब्दुल रहमान बनाम सरकार की जनहित याचिका में 2 अगस्त 2004 को"** दिए गए निर्णय से प्रभावित होना प्रतीत होता है।

"राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 मे 14 ऐसी भूमियॉ बताई गई है जिनमे खातेदारी अधिकार प्रोद्धृत नही होगे। जिसमे 16(2) के अन्तर्गत किसी नदी या तलाब के तल की भूमि जिसका आकस्मिक रूप से या यदा कदा खेती के लिए उपयोग किया जाता हो"

जबकि वादीगण द्वारा जिस आराजी के सम्बन्ध मे खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है उस आराजी की किस्म गै0मु0 नाली या नदीयॉ हैं ऐसी स्थिति मे वादीगण उक्त विवादग्रस्त आराजी मे घोषणा करवाने के अधिकारी प्रतीत नही होते है। अतः वादीगण तनकी सं0 1 सिद्ध करने मे असफल रहे। तनकी सं0 1 वादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

2. **आया वादग्रस्त भूमि कभी भी गै0मु0नाली नही रही है। मौके पर वादीगण का निरन्तर कब्जा काश्त है। इसलिये राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 नाली दुरूस्ती कराने के अधिकारी है।:–** तनकी सं0 2 को भी सिद्ध करने का भार वादीगण को दिया गया। वादीगण तनकी सं0 1 को सिद्ध करने मे पूर्णतया असफल रहे है तथा उक्त विवादग्रस्त आराजी

उपखण्ड अधिकारी
फागी

की वर्तमान किस्म भी नदीयों व नाला होने के कारण अब भी अब्दूल रहमान प्रकरण से सम्बन्धित है। महज कब्जा काश्त के आधार पर जब वादीगण उक्त आराजी मे खातेदारी अधिकारी प्राप्त करने के अधिकारी नही हो तो वादीगण उक्त आराजी की राजस्व रिकार्ड मे किस्म गै0मु0 नाली दुरूस्ती करवाने के अधिकारी भी स्वतः ही नही है। राजस्व रिकार्ड मे किसी भी प्रकार का परिवर्तन करवाने का अधिकार एक रिकार्डेड

खातेदार को प्राप्त होता है। जबकि वादीगण उक्त विवादग्रस्त आराजी रिकार्डेड खातेदार नही है। इसलिये तनकी सं0 2 भी वादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

3. **आया प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है।**:– तनकी सं0 3 को भी सिद्व करने का भार वादीगण को दिया गया। वादीगण द्वारा तनकी सं0 1 व 2 को अपने पक्ष मे साबित करने मे असफल रहे है। जिससे वादीगण को उक्त विवादित आराजी की खातेदारी अधिकार नही हो सकेत है। "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत एक रिकोर्डेड खातेदार ही स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी रहता है।" अतः तनकी सं0 3 भी वादीगण के विरूद्व तय की जाती है।
4. **आया वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 नाली सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। वादी दुरूस्ती कराने का अधिकारी नही है**:– तनकी सं0 4 को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण को दिया गया। प्रतिवादीगण ने अपने जबाब मे उक्त आराजी की किस्म गै0मु0 नाला होना दर्ज किया है। उक्त आराजी की किस्म पूर्व मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के आदेशानुसार परिवर्तन किया जाना बताया है। उक्त आराजी वर्तमान मे किस्म अनुसार अब्दुल रहमान प्रकरण से सम्बन्धित होने के कारण उक्त आराजी किस्म गै0मु0 नाली से दुरूस्त किया जाना न्यायोचित नही है। अतः तनकी सं0 4 प्रतिवादीगण के पक्ष मे तय की जाती है।
5. **आया वादग्रस्त भूमि राजकीय भूमि है। जिस पर वादीगण को कोई हक व अधिकार नही है। घोषणा कराने का अधिकारी नही है।**:– तनकी सं0 5 को भी सिद्व करने का भार प्रतिवादी को दिया गया। वादीगण द्वारा अपने वाद को सिद्व करने मे पूर्णतया असफल रहे है। इसलिये वादीगण उक्त विवादग्रस्त आराजी मे कोई हक व अधिकार नही होने के कारण घोषणा करवाने के अधिकारी नही है। अतः तनकी सं0 5 प्रतिवादीगण के पक्ष मे तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीयात के विश्लेषण से स्पष्ट है कि उक्त विवादग्रस्त आराजी वर्तमान मे राज्य सरकार की आराजी है। जिसकी किस्म गै0मु0 नाली है। वादीगण द्वारा अपनी तनकीयों के पक्ष मे ऐसा कोई सबुत या दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जिससे वादीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान किया जा सके।

उपखण्ड अधिकारी
फागी

"राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 मे 14 ऐसी भूमियां बताई गई है जिनमे खातेदारी अधिकार प्रोद्धृत नही होगे। जिसमे 16(2) के अन्तर्गत किसी नदी या तलाब के तल की भूमि जिसका आकस्मिक रूप से या यदा कदा खेती के लिए उपयोग किया जाता हो"

जबकि वादीगण द्वारा जिस आराजी के सम्बन्ध मे खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है उस आराजी की किस्म गै0मु0 नाली या नदीयॉं हैं। किसी भी काश्तकार को महज कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नही होता है। वादीगण अपनी तनकीयो को सिद्व करने मे पूर्णतया असफल रहे है। जिससे भी वादीगण का उक्त आराजी मे किसी भी का कोई हक अधिकार नही बनाता है। उक्त आराजी वर्तमान मे अब्दूल रहमान से प्रभावित होना प्रतीत होती है।

उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश मे हम वादीगण का वाद खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद साबित ना होने के कारण खारिज किया जाता है। मुताबिक निर्णय डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी, फागी जिला-जयपुर

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास– राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

1. रामावतार पुत्र स्व0 श्री छोटू जाति कुम्हार निवासी ग्राम नीमेडा तहसील फागी जिला जयपुर।
2. गोपाल पुत्र स्व0 श्री छोटू जाति कुम्हार निवासी ग्राम नीमेडा तहसील फागी जिला जयपुर।
3. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री छोटू जाति कुम्हार निवासी ग्राम नीमेडा तहसील फागी जिला जयपुर।

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये जिलाधीश महोदय जिला जयपुर।
2. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

उपखण्ड अधिकारी, फागी जिला–जयपुर

::– वाद घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा ::–

मु0नं0:– 288 / 2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादीगण श्री कृष्ण कुमार लखेरा हाजिर रूबरू वकील प्रतिवादी पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलह पेश होकर पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद साबित ना होने के कारण खारिज किया जाता है।

.... खर्चा इस मुकदमे के

निज .... मुदलिग .... बाबत .... सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी

मय सूद बशरह .... फीसदी ....

तक .... का अदा करे।

वरवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30 / 10 / 2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी फागी

दस्तखत............

ओहदा............

मुहर

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबुत			स्टाम्प वजह सबुत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
बबत इजराय हुक्मनामा			बबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी